

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण संचालनालय, मध्यप्रदेश
पत्रकार कॉलोनी, लिंक रोड नंबर 3, भोपाल-462016
ई-मेल:-dir.socialjustice@mp.gov.in

क्रमांक/सामा.सहा.03/428647/I/969316/2026 दिनांक : 24-04-2026
प्रति,

समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक,
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण,
मध्यप्रदेश ।

विषय :- अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र के आधार पर पेंशन एवं अन्य योजनाओं का लाभ प्रदाय किये जाने के संबंध में ।

संदर्भ:- संचालनालय का आदेश क्रं. 2025/I/682438/2025 दिनांक 19/12/2025

कृपया विषयांकित संदर्भित पत्र के द्वारा अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र के आधार पर पेंशन प्रदाय किये जाने अथवा नहीं किये जाने के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान किया गया था ।

एन.आई.सी. म.प्र. द्वारा पेंशन पोर्टल पर अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र (Temporary Disability Certificate) के आधार पर पेंशन हेतु नवीन आवेदन एवं आवेदन स्वीकृत नहीं हो सके इस हेतु आवश्यक तकनीकी प्रावधान/अपडेट कर दिए गए हैं।

यदि किसी नवीन प्रकरण में अस्थायी दिव्यांगता (4 दिव्यांगता के अतिरिक्त) के आधार पर आवेदन दर्ज हो रहा है तो विस्तृत जानकारी सहित संचालनालय को ई-मेल के माध्यम से अवगत कराये, जिससे कि परीक्षण किया जा सके।

(डॉ. श्रवण कुमार पचौरी)
उप संचालक (सा.सहा.),
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन
सशक्तिकरण म.प्र.

पू.क्रं./सामा.सहा.03/428647/I/969316/2026 दिनांक : 24-04-2026

प्रतिलिपि: -

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. समस्त, कलेक्टर, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. समस्त, आयुक्त नगर निगम, म.प्र. की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
4. समस्त, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, म.प्र. की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी., म.प्र.।
6. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक (पेंशन पोर्टल) एन.आई.सी., म.प्र.।
7. समस्त, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, म.प्र. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. समस्त, मुख्य नगर पालिका/नगर पंचायत परिषद अधिकारी, म.प्र. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. समस्त, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, म.प्र. की ओर ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप संचालक (सा.सहा.),
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन
सशक्तिकरण म.प्र.